भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1029

13.02.2025 को उत्तर के लिए

सीपीसीबी द्वारा पर्यावरणीय निधियों का कम उपयोग किया जाना

1029. श्री एस.निरंजन रेड्डी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा एकत्रित की गई धनराशि में से 80 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपयोग नहीं किया जाता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सीपीसीबी द्वारा एकत्रित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि में से एक बड़ी राशि पर्यावरण के पुनरूद्धार संबंधी गतिविधियों के बजाय सीपीसीबी के कम्प्यूटेशनल नेटवर्क के निर्माण पर व्यय की जाती है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पर्यावरणीय संरक्षण निधि के उपयोग के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या कार्यनीति है और क्या इस संबंध में आवधिक प्रतिवेदन प्रकाशित किये जाएंगे कि इन निधियों को कैसे खर्च किया जा रहा है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): दिनांक 30.09.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल उपलब्ध ईसी निधि 439.2467 रुपये है। उपलब्ध निधियों में से, 202.81 करोड़ रुपये राज्य बोर्डों के लिए जारी किए गए हैं और 184.23 रुपये विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार सीपीसीबी के पास 52.20 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। ईसी निधि से 223.44 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं, जो कुल निधि का 50% से अधिक है। "सीपीसीबी में कंप्यूटर नेटवर्क को मजबूत बनाने" पर 1.06 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो कुल एनजीटी निधि का केवल 0.17% है और माननीय एनजीटी द्वारा अनुमोदित कार्यकलापों के दायरे में आता है।

'पर्यावरण संरक्षण निधि' का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण निधि के संबंध में अलग-अलग खाते एवं अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखेगी और खातों का वार्षिक विवरण तैयार करेगी। निधि के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा और ऐसे लेखा-परीक्षित खातों को उनसे संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई लेखा-परीक्षा रिपोर्ट भी संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

****